


सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वासि एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री भीम उरांव पिता स्व० सुधु उरांव, श्री उमेश उरांव पिता मोहन उरांव एवं श्री गोपी उरांव पिता सोहन उरांव निवासी ग्राम: देवलगडा, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: सराधु, थाना सं: 29 (रैयती) खाता सं. 134 और 202 के अधीन प्लॉट सं. 490, 495, 497, 518, 519, 520, 527, 543, 544, 545, 551, 633, 637, 639, 634, 635, 644, 652, 653, 655, 657, 618, 619, 631, 1732 और 1737 एवं गैर-मजरुआ (जंगल झाड़ी) खाता सं. 278 के अधीन प्लॉट सं. 658 और 489/12ग; कुल रकबा - 06.00 एकड़ {रैयती- 3.9667 एकड़ और गैर-मजरुआ (जंगल झाड़ी) - 2.0333 एकड़} भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_lnd.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी. सी. एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: सराधु, थाना सं: 29, (रैयती) खाता सं. 134 और 202 के अधीन प्लॉट सं. 490, 495, 497, 518, 519, 520, 527, 543, 544, 545, 551, 633, 637, 639, 634, 635, 644, 652, 653, 655, 657, 618, 619, 631, 1732 और 1737 एवं गैर-मजरुआ (जंगल झाड़ी) खाता सं. 278 के अधीन प्लॉट सं. 658 और 489/12ग; कुल रकबा - 06.00 एकड़ {रैयती- 3.9667 एकड़ और गैर-मजरुआ (जंगल झाड़ी) - 2.0333 एकड़} भूमि, जिसे सी बी ए, 1957 आधिनियम के अन्तर्गत अधिगृहित किया गया है के तहत श्री भीम उरांव पिता स्व० सुधु उरांव, श्री उमेश उरांव पिता मोहन उरांव एवं श्री गोपी उरांव पिता सोहन उरांव निवासी ग्राम: देवलगडा, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।


03/09/2022